	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3-22	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकार उप. वास्ते बहस उभयपक्ष अवसर चाहते है. वास्ते बहस पत्रावली 12-3-22 को लोक अदालत में पेश हो उभयपक्ष अधिवक्ता को सूचित हो।	
12-3-22	पक्षकारान उप /अनु./वकील प्राथी/अप्रार्थी उप/अनु./पत्रावली लोक अदालत में पेश हुयी। पक्षकारान में समझाईश की गई परन्तु राजीनामा नही हुआ अतः पत्रावली सम्बन्धित न्यायालय को वापिस लौटायी जाये। 12-4-22 को न्यायालय में पेश हो।	
12-4-22	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष अधिवक्ता उप. अधिवक्ता ने बहस हेतु समय चाहा गया वास्ते बहस प्रा०-पत्र पत्रावली 10-5-22 को पेश हो।	
10-5-22	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने एवं अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना का अवलोकन पर प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर. एक्ट का निस्तारण किया जा रहा है संक्षेप में निर्णय इस प्रकार है कि. प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर. एक्ट के तहत प्रस्तुत कर कथन किया। कि प्रार्थीया कृषि भूमि खाता सं. 253 खसरा संख्या	

खण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	596 रकबा 0.12 हैक्टर खसरा स. 597 रकबा 1.90 हैक्टर ख.स. 598 रकबा 0.23 हैक्टर वाके ग्राम भारखेडी मे स्थित है। प्रार्थिया ने अपनी कृषि भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 14-07-2019 को करवाया था फर्द सीमाज्ञान मे ख.स. 597 रकबा 1.90 हैक्टर की दक्षिणी-पश्चिमी कोने से लगभग 10 मीटर चौडाई उत्तरी पूर्वी कोने तक पडोसी कृषक अप्रार्थीगण 1 व 2 का काश्त करना बताया गया है. अप्रार्थीगण सीमा चिन्ह अंकित करने मे व्यवधान उत्पन्न करते है। यही प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने का कारण रहा है और निवेदन किया प्रार्थिया की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश फरमाया जावे।
	प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी स. 1 व 2 को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या एक व दो द्वारा खण्डनात्मक जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रार्थिया द्वारा उसके खाते की कृषि भूमि का सीमाज्ञान अप्रार्थी स. 1 व 2 की अनुपस्थिति मे कराया गया है अप्रार्थी स. 3 द्वारा प्रार्थिया की खाते की भूमि का सीमाज्ञान करने बाबत मौके पर उपस्थिति बाबत कोई लिखित मे विधिवत नोटिस अप्रार्थी स. 1 व 2 नही दिया गया सीमाज्ञान रिपोर्ट मिली भगत से तैयार की गई है प्रार्थिया के खाते के खसरा नं. 597 रकबा 1.90 हैक्टर व अप्रार्थी स. 1 व 2 के खातेदारी के खसरा नम्बर 587 रकबा 2.46 हैक्टर के मध्य 20-25 वर्षो पूर्व मेड बनी हुई है जो मौके पर कायम है। प्रार्थिया की त्रिपाठ

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
आराजी पुश्तैनी व आवन्टशुदा न होकर प्रार्थिया द्वारा खरीद की गई भूमि है और अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वच्छ हाथो प्रस्तुत नही किया गया है प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।	
हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा प्रार्थिया व अप्रार्थीगण 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत आभिवचनो पर मनन किया गया। हम ~~ने~~ इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र आशिक स्वीकार किया जाकर पुनः सीमाज्ञान कराने पश्चात ही पत्थरगढी करवाई जावे।	
अतः प्रार्थिया का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल आर एक्ट आशिक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार इन्द्रगढ़ को आदेश दिये जाते है कि भू अ निरीक्षक व पटवारी हल्का के साथ एक दल गठित किया जाकर प्रार्थिया की खातेदारी कृषि भूमि खसरा सख्या 597 रकबा 1.90 हैक्टर वाके ग्राम लाखेरी का पुनः सीमाकन करवाये। मौका सीमाकन समय उभयपक्ष की उपस्थिति सुनिश्चित की जावे सीमाकन से उभयपक्ष सहमत होने पर पत्थरगढी सीमा चीन्ह अंकित किये जावे। पत्रावली फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।	
(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)	